BHARATIYA YOUTH PARLIAMENT 2026

एक राष्ट्र, एक चुनाव

समय, स्थिरता और सशक्त भारत की आवश्यकता

मैं भारत की जनता की शान में यह बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि -

हम वो दरिया हैं जिन्हें अपना हुनर मालूम है और
हम जिस तरफ चल देते हैं, रास्ते खुद बन जाते हैं

आज एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर देश में अनेक चर्चाएँ हो रही हैं। कुछ लोग इसे नई सोच मानते हैं, तो कुछ इसे अव्यावहारिक बताने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह कोई नई अवधारणा नहीं है। वर्ष 1947 से 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। यह हमारी लोकतांत्रिक परम्परा का ही हिस्सा रहा है, जिसे बाद के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता, दलगत टूट-फूट और सरकारों के बार-बार गिरने के कारण छोड़ा गया।

समय के साथ देश बार-बार चुनावी प्रक्रिया में उलझता चला गया। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी नगर निकाय और कभी पंचायत चुनाव होते रहे। हर चुनाव के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं और प्रशासनिक निर्णय रुक जाते हैं। इसका सीधा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है, क्योंकि जिन योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, वे चुनावी कारणों से टल जाती हैं।

एक राष्ट्र, एक चुनाव का उद्देश्य लोकतंत्र को सीमित करना नहीं, बल्कि उसे अधिक स्थिर, मजबूत और प्रभावी बनाना है। जब सरकारों को अपना पूरा कार्यकाल बिना रुकावट मिलेगा, तभी वे दीर्घकालिक नीतियाँ बना सकेंगी और उन्हें ज़मीन पर उतार सकेंगी। अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि यदि किसी विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल बीच में समाप्त हो जाए तो क्या होगा। इसका उत्तर हमारी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में पहले से मौजूद है। आज भी यदि किसी सांसद या विधायक का निधन हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे, तो नया प्रतिनिधि केवल शेष बचे कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है। इसी व्यवस्था को संस्थागत रूप देकर इस चुनौती का समाधान किया जा सकता है।

यह विषय किसी एक दल के बहुमत का नहीं, बल्कि सर्वदलीय सहमति का विषय है। चूँकि चुनाव में सभी राजनीतिक दल भाग लेते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संवाद, सहमति और सहयोग की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टि से भी एक राष्ट्र, एक चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014 के आम चुनाव में केवल लोकसभा चुनाव पर ही हजारों करोड़ रुपये खर्च हुए। यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएँ, तो यह खर्च काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है।

बार-बार चुनाव होने से सबसे बड़ा नुकसान विकास के क्षेत्र में होता है। नीतियाँ अधूरी रह जाती हैं, प्रशासन लगातार चुनावी तैयारियों में व्यस्त रहता है और देश की प्रगति की गति धीमी पड़ जाती है। आज भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस गति को बनाए रखने के लिए हमें बार-बार चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता है। जब चुनाव एक साथ होंगे, तो सरकारें लगभग पूरे कार्यकाल देश के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।

एक राष्ट्र, एक चुनाव किसी दल विशेष का एजेंडा नहीं, बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी, प्रशासनिक अव्यवस्था घटेगी, सुरक्षा बलों पर दबाव कम होगा और सरकार का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और विकास जैसे मूलभूत मुद्दों पर केंद्रित हो सकेगा। आज का युवा यही चाहता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित न रहे, बल्कि स्थिर शासन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बने।

अंत में, मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करना चाहता हूँ, जिनमें भारत की आत्मा बसती है-

की जाति वर्ग और प्रान्ति भेद कर...
भ्रम को दूर भगाता है...
सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है...
अनेकता में एक मंत्र को जन-जन ये अपनाता है...
देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है।

- शिखर पुरी
Sr.No.- REG-EDDB7645